

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 720(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर), तारीख 28 जून, 2017, के पृष्ठ 171,-

(i) पंक्ति 36 में, "8702 10" के स्थान पर "8702 10, 8702 20, 8702 30, 8702 90" पढ़ें ;

(ii) पंक्ति 36 में, "दस या उससे अधिक" शब्दों के स्थान पर "13 से अनधिक" पढ़ें ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार